30/126 (1744) 9714/06 956 (40)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

257593

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	– रू0 7,16,917/–
बाजारू मूल्य	– रू0 4,25,700/–
जनरल स्टैम्प	– रू0 71,700/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – बिजनौर
3. ग्राम – निजामपुर मझिगवां
4. सम्पत्ति का विवरण – भूमि खसरा संख्या 154 रकबा

आदर्श

18-11-…

2500c -

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

257594

A.T.O./T.O.
TRY.LKO.

0.078 हेक्टेअर, खसरा संख्या 153अ रकबा 0.056 हे0, खसरा संख्या 153ब रकबा 0.100 हे0, खसरा संख्या 201 रकबा 0.153 हे0 इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.387 हे0 स्थित ग्राम-- निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

5. मापन की ईकाई — हेक्टेअर

आदर्श कोषागार, लखनऊ
दिनांक 18-11-06
मूल्य 25000/- ... स्टाम्प
नाम ...
ह.रा ...
स. रोकड़िया   मुख्य रोकड़िया

लखनऊ

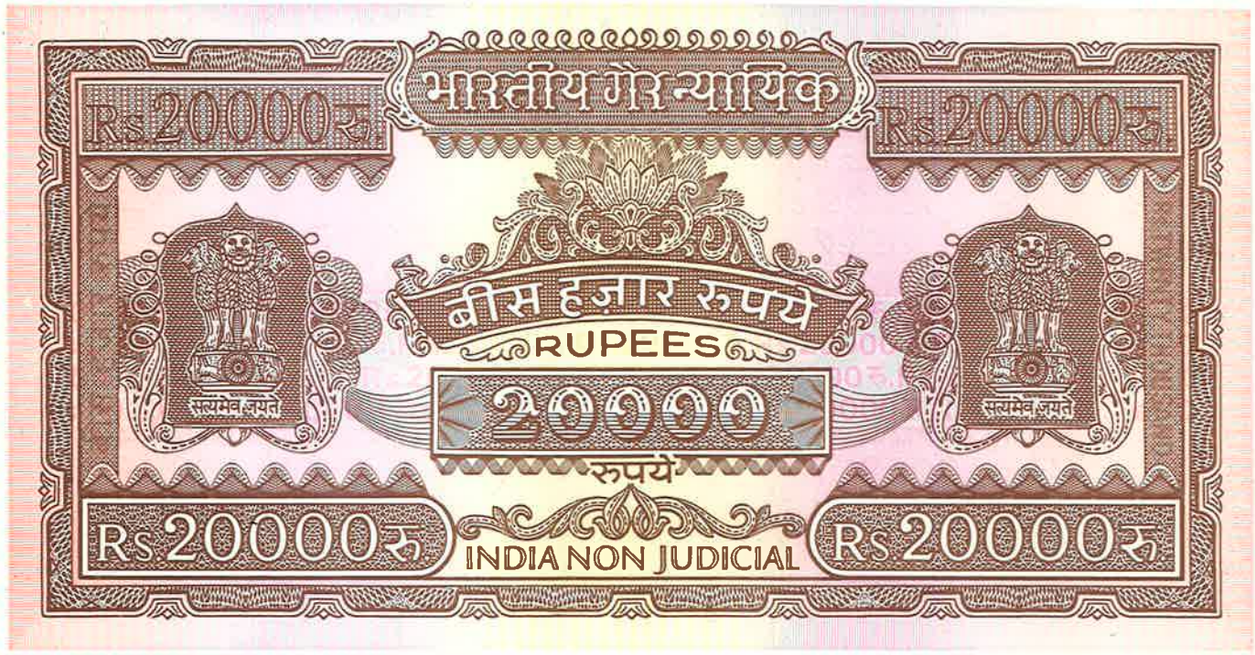

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

168242

A.T.O/T.O. TRY.LKO.

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.387 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड व अमरषहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेड़ों की स्थिति – कुछ भी नहीं है।

10. बोरिंग / कुआं अन्य – कुछ भी नहीं है ।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 154</u>

उत्तर : खसरा नं0–153

आदर्श कोषागार लखनऊ

दिनांक 18-11-06

मूल्य 20000 ... स्टाम्प

नाम [illegible]

ह.रा. ...

स० रोकड़िया   मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

दक्षिण	: खसरा नं0–143
पूरब	: खसरा नं0–155
पश्चिम	: खसरा नं0–139

चौहद्दी खसरा नं0 153अ व ब

उत्तर	: खसरा नं0–152
दक्षिण	: खसरा नं0–154
पूरब	: खसरा नं0–155
पश्चिम	: खसरा नं0–139

चौहद्दी खसरा नं0 201

उत्तर	: खसरा नं0–197

18-11-06

1000-

500Rs.

दक्षिण : खसरा नं0–200

पूरब : खसरा नं0–204, 205

पश्चिम : खसरा नं0–198

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
सुखपाता पुत्र छेदा निवासी –ग्राम निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	:	जयचन्द पुत्र भोलाकोरी निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 18-11-06

मूल्य 500- ... स्टाम्प

नाम जयचन्द्र

द्वारा

स० रोकड़िया   मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 170554

11 NOV 2006

A.T.O./T.O. TRY.LKO.

व्यवसाय– कृषि	व्यवसाय– कृषि

यह विक्रय विलेख **सुखपाता पुत्र छेदा निवासी –ग्राम निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ** जिन्हें आगे **विक्रेता** कहा गया है एवम् **जयचन्द पुत्र भोलाकोरी निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर** जिन्हें आगे **क्रेता** कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

ह0 जयचन्द

ह0 सुखपाता

18-11-06
100/-

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 170555

17 NOV 2006
A.T.O./T.O.
TRY.LKO.

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 154 रकबा 0.078 हेक्टेअर, खसरा संख्या 153अ रकबा 0.056 हे0, खसरा संख्या 153ब रकबा 0.100 हे0, खसरा संख्या 201 रकबा 0.153 हे0 इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.387 हे0 स्थित ग्राम– निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और

18.11.06

100-

मुख्य रोकड़िया

सत्यमेव जयते

विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 **7,16,917/–** के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया हे एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहॉ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

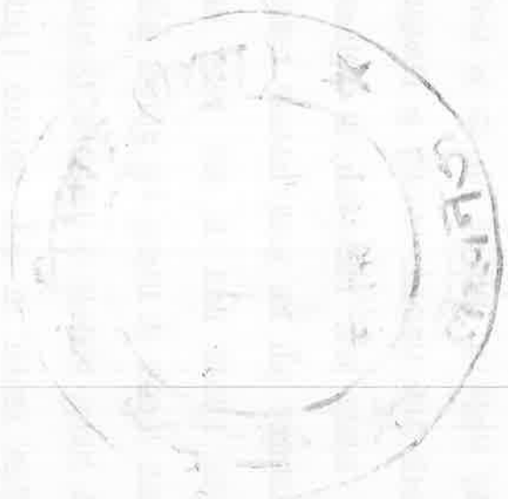

विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेंता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता हे कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होंगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया,

किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम निजामपुर मझिगवां अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/– प्रति हेक्टेअर हैं इस प्रकार बिक्रीत भूमि 0.387 हेक्टेअर की मालियत रू0 4,25,700/– होंती है चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 **71,700/–** जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 5,00,000/–द्वारा चेक संख्या 619494 दिनांकित 18.11.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

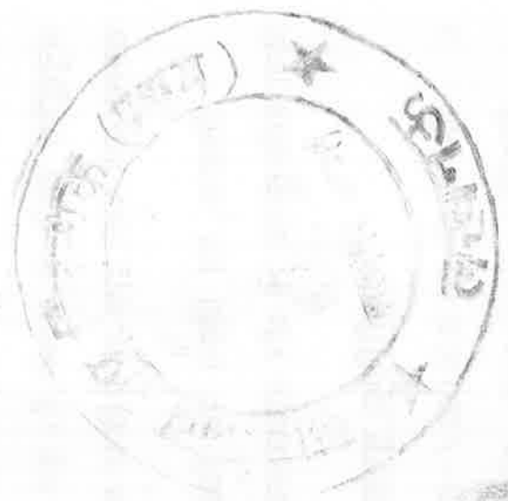

2. विक्रेता को रू0 2,16,917/–द्वारा चेक संख्या 619495 दिनांकित 18.11.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 7,16,917/– (रूपया सात लाख सोलह हजार नौ सौ सत्रह मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं ।

विक्रेता

लखनऊः

दिनांक : 18.11.2006

गवाह :

1.

2.

क्रेता

टाईपकर्ता

(मोंचू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(बेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट

विक्रय पत्र

716.917.00/ **426,000.00** 5,000.00 40 5,040.00 2,000

प्रतिफल मालियत फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री /श्रीमती सुखपाता

पुत्र / पत्नी श्री छेदा

पेशा गृहिणी

निवासी स्थायी निजाम पुर मझगवां लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 18/11/2006 समय 5:15PM

को निबन्धन हेतु पेश किया।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
18/11/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती सुखपाता
पुत्र/पत्नी श्री छेदा
पेशा गृहिणी
निवासी निजाम पुर मझगवां लखनऊ

क्रेता
श्री/श्रीमती जय चन्द्र
पुत्र/पत्नी श्री भोला कोरी
पेशा व्यापार
निवासी मिर्जापुर भिटारी फतेहपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री **शुनील कुमार सिन्हा**

पुत्र श्री **जी0 सी0 सिन्हा**

पेशा **व्यापार**

निवासी **आर्यानगर लखनऊ**

व श्री **आनन्द त्रिपाठी**

पुत्र श्री **त्रिविक्रम त्रिपाठी**

पेशा **व्यापार**

निवासी **5/672 बिकाश नग्रर लखनऊ**

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे **नियमानुसार लिये गये हैं।**

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
18/11/2006

ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील - [illegible]

खसरा संख्या - [illegible] जिला [illegible]

रकबा -

[illegible]

विक्रेता

[illegible]

क्रेता

विक्रेता

Registration No 9714 Year : 2006 Book No. 1

0101 सुखपाता

छेदा

निजाम पुर मझगवां लखनऊ

गृहिणी

ग्राम - [illegible] परगना - [illegible] तहसील - [illegible]

खसरा संख्या - [illegible] जिला - [illegible]

रकबा -

[illegible]

विक्रेता

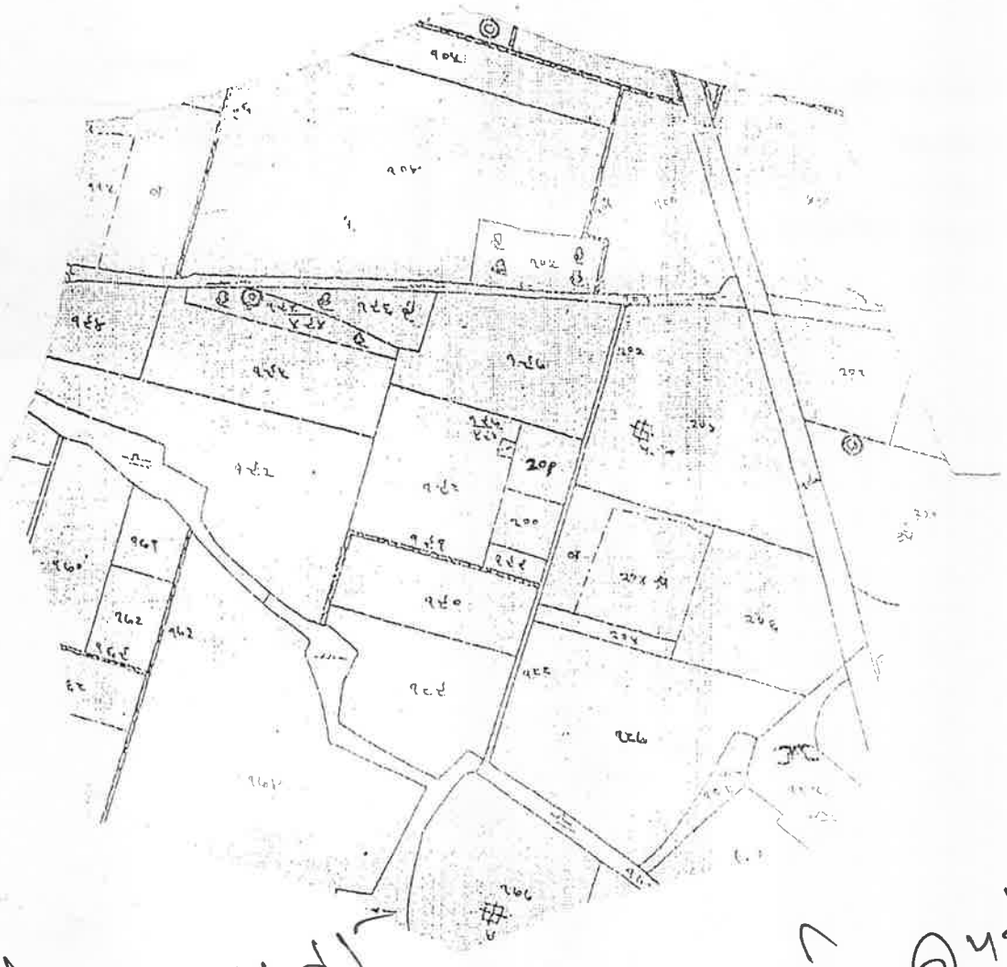

[illegible]

क्रेता

क्रेता

Registration No. 9714 Year : 2006 Book No. 1

0201 जय चन्द्र

भोला कोरी

भिर्जापुर भिटारी फतेहपुर

व्यापार

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,
फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बांये हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

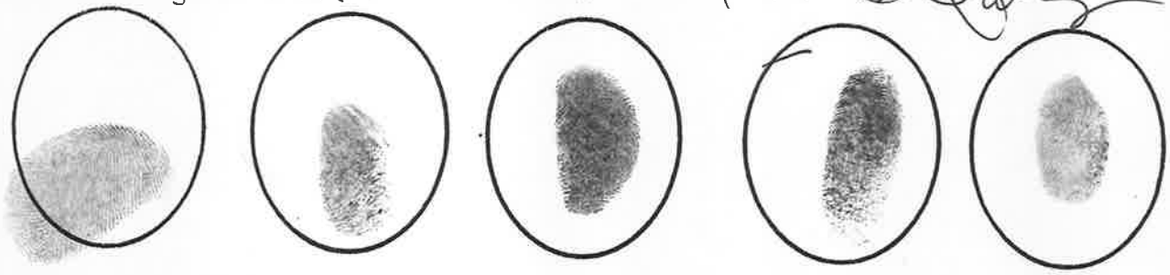

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible]

बांये हांथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

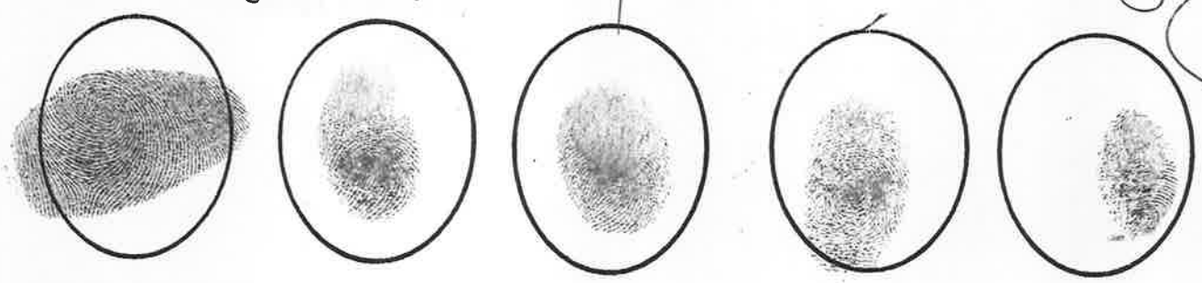

दाहिने हांथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक **18/11/2006** को

वही सं **1** जिल्द सं **7923**

पृष्ठ सं. **339** से **366** पर कमांक **9714**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

18/11/06

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

18/11/2006